BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE
GWALIOR (M.P.)

CASE NO. / 2018

अपील - 4732/2018/भिण्ड/

SMT. ZARINA W/O SHRI JUMMAN KHAN, AGE - ____YEARS, OCCUPATION – HOMEMAKER, R/O GOHDI, PARGANA GOHAD, DISTRICT – BHIND (M.P.)

--------- **APPELLANT**

VERSUS

STATE OF M.P. THROUGH PRINCIPAL SECRETARY, DEPARTMENT OF REVENUE, VALLABH BHAVAN, BHOPAL (M.P.)

-------- **RESPONDENT**

SECOND APPEAL UNDER SECTION 44(2) OF MPLRC

The appellant most respectfully submits as under:

1. That, the present second appeal is being preferred against the order dated 01.12.2017 passed by the Additional Commissioner inter-alia dismissing the appeal and confirming the order of Collector dated 31.08.2017 wherein the application of the petitioner for correcting the measurement of survey no. 821 and 841 mutated in the name of the appellant was dismissed.

2. That, the appellant is the owner in possession of land bearing survey no. 821 and 841. The old survey number of these lands was 929 admeasuring 0.094 Hectares. From the said survey number 929 two new survey number 821 and 841 both admeasuring 0.09 hectares were formed but

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-4732/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/09/2018	अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आयुष चौरसिया उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरुद्ध दिनांक 01.12.2017 को अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अपील पेश की गई जिसे अपर आयुक्त द्वारा अवधि वाह्य मानकर निरस्त किया गया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का अवधि विधान की धारा-5 के तहत दिन-प्रतिदिन के हिसाब से स्पष्ट व ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। विलंब क्षमा न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसे कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे यह अपील ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह अपील ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	